रजिस्टर्ड नं० एल०-33/एस० एम०/13-14/94.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 12 सितम्बर, 1994/21 भाद्रपद, 1916

हिमाचल प्रदेश सरकार

विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

शिमला-4, 12 सितम्बर, 1994

संख्या 1-20/94-वि० स०.—हिमाचल प्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 135 के अन्तर्गत "हिमाचल प्रदेश सहायता पाने वाले महाविद्यालय (कर्मचारियों की

2408-राजपत्र/94-12-9-94—1,216. (2369) मूल्य : 1 रुपया ।

सेवा सुरक्षा विधेयक, 1994 (1994 का विधेयक संख्यांक 12)" जो दिनांक 12 सितम्बर, 1994 को हिमाचल प्रदेश विधान सभा में पुर: संस्थापित हो गया है, असाधारण का सूचनार्थ राजपत्र में मुद्रित करने हेतु प्रेषित किया जाता है ।

हस्ताक्षरित/-
(लक्ष्मण सिंह),
सचिव ।

1994 का विधेयक संख्यांक 12

हिमाचल प्रदेश सहायता पाने वाले महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा) विधेयक, 1994

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित रूप में)

हिमाचल प्रदेश राज्य में सहायता पाने वाले महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा का उपबन्ध करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के पैंतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और विस्तार।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सहायता पाने वाले महाविद्यालय (कर्मचारियों की सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 1994 है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हिमाचल प्रदेश राज्य पर है।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "सहायता पाने वाले महाविद्यालय" या "महाविद्यालय" से ऐसा महाविद्यालय अभिप्रेत है जो विश्वविद्यालय से सहबद्ध है और जिसे उसके विशेषाधिकार दिए गए हैं तथा जो राज्य सरकार से वित्तीय अनुरक्षण अनुदान या सहायता प्राप्त कर रहा है ;

(ख) "निदेशक" से शिक्षा निदेशक, हिमाचल प्रदेश अभिप्रेत है, और इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के अधीन निदेशक की शक्तियों का प्रयोग करने और कृत्यों का पालन करने के लिए प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी भी है ;

(ग) "जिला न्यायाधीश" से उस जिले का जिला न्यायाधीश अभिप्रेत है जिसमें सहायता पाने वाला महाविद्यालय स्थित है ;

(घ) "कर्मचारी" से किसी महाविद्यालय में नियोजित व्यक्ति अभिप्रेत है, किन्तु इसके अन्तर्गत निर्धारित कर्मचारी (वर्कचार्ज) नहीं है ;

(ङ) "प्रबन्ध समिति" से महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों के प्रबन्ध से तत्समय न्यस्त कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय भी है ;

(च) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(छ) किसी महाविद्यालय के सम्बन्ध में "प्राचार्य" से महाविद्यालय का प्रमुख अभिप्रेत है ;

(ज) "राज्य सरकार" से हिमाचल प्रदेश सरकार अभिप्रेत है ;

(झ) "विश्वविद्यालय" से हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1970 (1970 का 17) की धारा 3 के अधीन गठित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय अभिप्रेत है ;

(ञ) "विश्वविद्यालय अनुदान आयोग" से विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम संख्यांक 3) की धारा-4 के अधीन स्थापित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अभिप्रेत है ।

अर्हताएं ।

3. किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती के लिए न्यूनतम अर्हताएं ऐसी होंगी, जैसी समय-समय पर, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित की जाएं :

परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा अध्यापकों के लिए अर्हताएं, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार अधिकथित की जाएंगी :

परन्तु यह और कि इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान किसी नियमित कर्मचारी की अर्हताओं में उसके अहित में फेरफार नहीं किया जाएगा ।

भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें ।

4. किसी महाविद्यालय के कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति और सेवा की शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाएं :

परन्तु इस अधिनियम के प्रारम्भ पर विद्यमान कर्मचारी की सेवा शर्तों में उसके अहित में फेरफार नहीं किया जाएगा ।

आचरण संहिता ।

5. महाविद्यालय के कर्मचारी ऐसी आचरण संहिता द्वारा शासित होंगे जैसी विहित की जाएं :

परन्तु अध्यापकों की दशा में इस धारा के अधीन आचार संहिता निम्न प्रकार से विहित की जाएगी :—

(i) जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा कोई मार्ग-दर्शक सिद्धान्त जारी किए गए हैं, वहां ऐसे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के अनुसार ; और

(ii) जहां ऐसे कोई मार्गदर्शक सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं, वहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के परामर्श से ।

वेतन ।

6. महाविद्यालय के कर्मचारियों के वेतनमान और अन्य भत्ते और विशेषाधिकार ऐसे होंगे, जैसे समय-समय पर सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ।

जांच के पश्चात् के सिवाय, पदच्युति, हटाने या पंक्तिच्युति करने के आदेश का न किया जाना ।

7. महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी को पदच्युत, हटाया या पंक्तिच्युत नहीं किया जाएगा, सिवाए ऐसी जांच के पश्चात् के, जिसमें उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में सूचित किया गया हो और उन आरोपों के बारे में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया गया हो ।

पदच्युति, हटाने या पंक्तिच्युत करने से पूर्व पालन की जाने वाली प्रक्रिया ।

8. (1) किसी भी कर्मचारी पर, पदच्युति, हटाने या पंक्तिच्युत करने की शास्ति अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक निदेशक द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ।

(2) जहां धारा 7 में निर्दिष्ट जांच के पश्चात् किसी कर्मचारी पर पदच्युति, सेवा से हटाने या पंक्तिच्युत करने की शास्ति अधिरोपित करने का प्रस्ताव किया जाए, वहां सुसंगत अभिलेख सहित प्रस्ताव, निदेशक को निर्दिष्ट किया जाएगा और साथ-साथ सम्बन्धित कर्मचारी को भी सूचित किया जाएगा ।

(3) कर्मचारी उप-धारा (2) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति से तीस दिन की अवधि के भीतर प्रस्तावित शास्ति के विरुद्ध निदेशक को, अभ्यावेदन कर सकेगा, जो, अभिलेख की परीक्षा करने और पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, लिखित आदेश द्वारा प्रस्तावित शास्ति को अनुमोदित कर सकेगा या इसे कम कर सकेगा, अथवा इसे अनुमोदित करने से इन्कार कर सकेगा यदि प्रस्ताव को असद्भावपूर्वक या तंग करने के रूप में पाया जाता है अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर आवश्यक नहीं है ।

कुछ मामलों में धारा 7 और धारा 8 का लागू न होना ।

9. धारा 7 और 8 के उपबन्ध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :—

(i) ऐसे कर्मचारी की सेवा समाप्ति को, जिसे केवल अस्थायी अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है ;

(ii) परिवीक्षा पर नियुक्त किसी कर्मचारी, परिवीक्षा अवधि के दौरान या अन्त में, उसके कार्य या आचरण के असंतोषजनक होने के आधार पर, सेवा समाप्ति को ; और

(iii) ऐसे कर्मचारी, जिसे ऐसे आचरण के आधार पर, पदच्युत या हटाया अथवा पंक्तिच्युत किया जाता है जिस पर उसे नैतिक अधमता से अन्तर्वलित होने के आपराधिक आरोप का सिद्धदोष ठहराया गया है ।

परिवीक्षा की अवधि ।

10. एक वर्ष से अधिक के लिए सकाश्य विद्यमान रहने वाली रिक्ति पर नियुक्त कर्मचारी, एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रहेगा जो समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी :

परन्तु परिवीक्षा की कुल अवधि जिसके अन्तर्गत बढ़ाई गई अवधि, यदि कोई हो, भी है, दो वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

कर्मचारियों का निलम्बन ।

11. (1) किसी भी कर्मचारी को निलम्बित नहीं किया जाएगा, जब तक,—

(क) उसके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अनुध्यात न हो या लम्बित न हो ; या

(ख) किसी आपराधिक अपराध के बारे में उसके विरुद्ध मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन न हो ।

(2) यदि महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति किसी कर्मचारी को छः मास से परे की अवधि के लिए निलंबित रखना समीचीन समझती है, तो यह

छः मास की कालावधि के अवसान से पूर्व उस ... मास पूर्व, कारणों को विनिर्दिष्ट करते हुए जिनसे ... निलम्बन ... को छः मास से परे बढ़ाया जाना आवश्यक है, निदेशक को ब्यौरेवार रिपोर्ट भेजेगी।

(3) उप-धारा (2) के अधीन रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, निदेशक ऐसा आदेश पारित करेगा कि क्या बढ़ौतरी दी जाए या नहीं। उस द्वारा बढ़ौतरी देने से इन्कार की दशा में प्रबन्ध समिति, आदेश की प्राप्ति की तारीख से चौदह दिन के भीतर कर्मचारी को बहाल करेगी। ऐसा न करने पर सम्बन्धित कर्मचारी को, उपर्युक्त अवधि के अवसान पर बहाल किया गया समझा जाएगा।

छंटनी। 12. (1) महाविद्यालय के किसी भी कर्मचारी की कार्यभार में कमी के कारण, निदेशक के पूर्व अनुमोदन के बिना छंटनी नहीं की जाएगी, जो अनुमोदन देने से पूर्व प्रत्येक मामले का, विश्वविद्यालय द्वारा अधिकथित कार्यभार मान के अनुसार, परीक्षण करेगा।

(2) छंटनी के परिणामस्वरूप महाविद्यालय के कार्यभार से मुक्त किए गए कर्मचारी को उस महाविद्यालय में जहां वह छंटनी से ठीक पूर्व सेवा कर रहा था या उसी प्रबन्ध समिति के अधीन किसी दूसरे महाविद्यालय में, भावी नियुक्ति के लिए अधिमान प्राप्त होगा।

वेतन के संदाय के लिए प्रक्रिया। 13. (1) महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति, अपने कर्मचारियों को वेतन संवितरित करने के प्रयोजन के भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की द्वितीय अनुसूचि में या सरकारी बैंक में या सरकारी खजाने या उप-खजाने में एक अलग "वेतन संदाय लेखा" खोलेगी जो संयुक्त रूप से प्राचार्य और निदेशक द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा जिसे निदेशक द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, संचालित किया जाएगा :

परन्तु "वेतन संदाय लेखा" खोलने के पश्चात् निदेशक, यदि, धारा 22 के अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन रहते हुए उसका समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा किया जाना समीचीन है, तो वह बैंक या खजाने को अनुदेश दे सकेगा कि "वेतन संदाय लेखा" का संचालन केवल प्राचार्य द्वारा ही किया जाएगा और वह ऐसे किसी भी अनुदेश का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगा :

परन्तु यह और कि उप-धारा (3) में निर्दिष्ट मामले में या किसी अन्य मामले में जहां प्रबन्ध समिति को कारण बताने का अवसर देने के पश्चात् निदेशक की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह बैंक या खजाने को अनुदेश दे सकेगा कि "वेतन संदाय लेखा" का संचालन केवल स्वयं उस द्वारा या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जाएगा, जो, उस द्वारा उस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, और ऐसे अनुदेश का किसी भी समय प्रतिसंहरण कर सकेगा।

(2) राज्य सरकार, समय-समय पर, साधारण या विशेष आदेश द्वारा यह अपेक्षा कर सकेगी कि प्रबन्ध समिति विद्यार्थियों से फीस के रूप में प्राप्त रकम का ऐसा भाग और महाविद्यालय को या महाविद्यालय के फायदे के लिए पूर्णतः या अंशतः विन्यास की गई किसी सम्पत्ति, जंगम या स्थावर से प्राप्त आय का भी, यदि कोई हो, ऐसा भाग और ऐसी तारीख तक, जैसी उस आदेश में विनिर्दिष्ट

की जाए, "वेतन संदाय लेखा" में जमा करेगी, और तदुपरि प्रबन्ध समिति ऐसे निदेश का पालन करने को आबद्ध होगी ।

(3) जहां निदेशक की यह राय हो कि प्रबन्ध समिति उप-धारा (2) के उपबन्धों या तद्धीन जारी किए गए आदेशों के अनुसार फीस जमा कराने में असफल रही है, वहां निदेशक, आदेश द्वारा प्रबन्ध समिति को विद्यार्थियों से कोई फीस वसूल करने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा और तदुपरि निदेशक विद्यार्थियों से सीधे तौर पर महाविद्यालय के कर्मचारियों के माध्यम से या ऐसी रीति में जो वह ठीक समझे फीस वसूल कर सकेगा और इस प्रकार वसूल की गई फीस को "वेतन संदाय लेखा" में जमा करेगा ।

(4) राज्य सरकार भी उप-धारा (2) और (3) के अधीन जमा कराई गई रकम को ध्यान में रखने के पश्चात् ऐसी रकम अनुरक्षण अनुदान के रूप में "वेतन संदाय लेखा" में संदत्त करेगी, जो उप-धारा (5) के अनुसार संदाय करने के लिए आवश्यक है ।

(5) किसी कर्मचारी का वेतन "वेतन सदाय लेखा" से, बैंक में उसके लेखा को, यदि कोई हो, रकम के अन्तरण द्वारा या यदि उस बैंक में उसका लेखा नहीं है तो बैंक द्वारा संदत्त किया जाएगा ।

अपील ।

14. धारा 8 की उप-धारा (3) के अधीन निदेशक के आदेश से व्यथित कोई पक्षकार, तीस दिन के भीतर जिला न्यायाधीश को अपील फाइल कर सकेगा, जो पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह उचित समझे :

परन्तु जिला न्यायाधीश, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से समय पर अपील फाइल करने से निवारित रहा था, उक्त तीस दिन की अवधि के अवसान के पश्चात् भी अपील ग्रहण कर सकेगा ।

पुनरीक्षण की शक्ति ।

15. राज्य सरकार या तो स्वप्रेरणा से या इस निमित्त प्राप्त आवेदन पर, निदेशक के समक्ष या तो लम्बित या जिसमें निदेशक ने कोई आदेश पारित कर दिया है, किन्हीं कार्यवाहियों के अभिलेख ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में अपने समाधान के प्रयोजन के लिए मंगवा सकेगी और उसके सम्बन्ध में ऐसा आदेश पारित कर सकेगी जैसा यह ठीक समझे :

परन्तु राज्य सरकार इस धारा के अधीन किसी पक्षकार पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला आदेश, ऐसे पक्षकार को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान किए बिना पारित नहीं करेगी ।

निदेश जारी करने की शक्ति ।

16. राज्य सरकार, महाविद्यालय की प्रबन्ध समिति को ऐसे निदेश जारी करने के लिए सक्षम होगी जैसे इस अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उचित प्रवर्तन के लिए आवश्यक हों ।

कुछ मामलों में सहायता अनुदान

17. (1) इसके प्रशासन से प्रभावित प्रबन्ध समिति, प्राचार्य या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों या धारा 16 के अधीन जारी किए गए किसी निदेश के अतिक्रमण के लिए,

रोकने, कम करने या निलम्बित करने या उसमें कर्मचारियों का संदाय करने की शक्ति ।

महाविद्यालय को सरकार द्वारा सहायता अनुदान रोकना, कम करना या निलम्बित करना विधिपूर्ण होगा ।

(2) सक्षम प्राधिकारी के किसी आदेश या इस अधिनियम के अधीन जारी किसी निदेश के अनुपालन की दशा में सरकार के लिए, किसी महाविद्यालय को देय सहायता अनुदान में से, ऐसी धनराशि जमा ऐसे किसी महाविद्यालय या प्रबन्ध समिति में किसी कर्मचारी को देय पाई जाए, संदत्त करना विधिपूर्ण होगा ।

(3) इस धारा के अधीन कोई कार्रवाई करने से पूर्व सरकार, ऐसी प्रबन्ध समिति, प्राचार्य या सम्बन्धित प्राधिकारी को, की जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कारण दर्शित करने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगी ।

इस अधिनियम का अभ्यारोही भाव ।

18. इस अधिनियम के उपबन्ध, तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में जिसके अन्तर्गत किसी विश्वविद्यालय का कोई विनियम या परिनियम भी है, किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी प्रभावशील होंगे ।

सिविल न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन ।

19. किसी सिविल न्यायालय को, इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन की गई किन्हीं कार्यवाहियों के बारे में कोई वाद या कार्यवाही ग्रहण करने की अधिकारिता नहीं होगी ।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण ।

20. इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक की गई या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही, राज्य सरकार या किसी प्राधिकारी या इस अधिनियम के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी के विरुद्ध न होगी ।

नियम बनाने की शक्ति ।

21. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात् :—

(i) धारा 4 के अधीन कर्मचारियों की भर्ती की पद्धति बारे सेवा शर्तें ;

(ii) धारा 5 के अधीन महाविद्यालय के कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता ;

(iii) धारा 7 के अधीन जांच के लिए पालन की जाने वाली प्रक्रिया ;

(iv) वह रीति जिसमें धारा 13 के अधीन "वेतन संदाय सेवा" खोला जाएगा और रखा जाएगा ;

(v) धारा 14 के अधीन जिला न्यायाधीश को की जाने वाली अपील की रीति ; और

(vi) कोई अन्य विषय जो अधिनियम के अधीन विहित किया जाना है या विहित किया जाएगा ।

(3) इस धारा द्वारा नियम बनाने के लिए प्रदत्त शक्ति, नियमों के पूर्व प्रकाशन के पश्चात् बनाए जाने की शर्त के अधीन होगी ।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

हिमाचल प्रदेश में राज्य कोष से सहायता अनुदान प्राप्त कर रहे बहुत से प्राईवेट महाविद्यालय कार्य कर रहे हैं। उनकी वेतन नामावली में बहुत से कर्मचारी हैं। इन संस्थानों के कर्मचारी, अन्य रूप में उनका वेतन संवितरित करने के लिए, दी गई सरकारी निधि के उपयोजन और प्रबन्ध मण्डल की अन्य कार्रवाईयों के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त करने के पात्र हैं। इसलिए उनके वेतन के संदाय और सेवा की सुरक्षा को सुनिश्चित करना आवश्यक हो गया है, ताकि उनकी प्रबन्ध समितियों द्वारा मनमाने रूप से उन्हें निलम्बित, पदच्युत या सेवा से हटाना या पंक्तिच्युत न किया जा सके। यह उपबन्ध करना भी आवश्यक हो गया है कि इस निमित्त विहित उपबन्धों के अतिक्रमण में कर्मचारियों पर शास्तियां अधिरोपित करने या कर्मचारियों को वेतन संवितरित करने की दशा में सरकार, इन महाविद्यालयों के राज्य निधि में से सहायता अनुदान को कम करने, रोकने या निलम्बित करने का आदेश देने के लिए सक्षम होगी।

यह विधेयक उपर्युक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए और उससे प्रासंगिक या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए है।

शिमला :
.....1994.

नारायण चन्द पराशर,
शिक्षा मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

इस विधेयक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध, अधिनियमित किए जाने पर, विद्यमान सरकारी तन्त्र द्वारा कार्यान्वित किए जाएंगे और इस प्रकार विधेयक के उपबन्धों के कार्यान्वयन के लिए, राज्य कोष से कोई अतिरिक्त व्यय उपगत नहीं किया जाएगा।

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

विधेयक का खण्ड 2 उनमें परिगणित विषयों के सम्बन्ध में नियम बनाने के लिए राज्य सरकार को सशक्त करता है। यह प्रत्यायोजन विधेयक के उपबन्धों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए आवश्यक है और सामान्य स्वरूप का है।

Bill No. 12 of 1994.

THE HIMACHAL PRADESH AIDED COLLEGES (SECURITY OF SERVICES OF EMPLOYEES) BILL, 1994

(As Introduced in the Legislative Assembly)

A

BILL

to provide for the security of services to the employees of the aided Colleges in the State of Himachal Pradesh.

Be it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Forty-fifth Year of the Republic of India as follows :—

Short title and extent.

1. (1) This Act may be called the Himachal Pradesh Aided Colleges (Security of Services of Employees) Act, 1994.

(2) It extends to the whole of the State of Himachal Pradesh.

Definitions.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

(*a*) "aided College" or "College" means a College affiliated to and admitted to the privileges of a University and receiving annual maintenance grant or aid from the State Government;

(*b*) "Director" means the Director of Education, Himachal Pradesh, and includes any other officer authorised by the State Government to excercise the powers and perform the functions of the Director under this Act;

(*c*) "District Judge" means the District Judge of the District in which the aided College is situated;

(*d*) "employee" means a person in the employment of a College, but does not include a work-charged employee;

(*e*) "Managing Commititee" means the Managing Committee of a College and includes a person or body of persons for the time being entrusted with the management of the affairs of the College;

(*f*) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(*g*) "Principal" in relation to a College means the head of the College;

(*h*) "State Government" means the Government of Himachal Pradesh;

(*i*) "University" means the Himachal Pradesh University constituted under section 3 of the Himachal Pradesh University Act, 1970 ; and

17 of 1970

(*j*) "University Grants Commission" means the University-Grants Commission established under section 4 of the University Grants Commission Act, 1956.

3 of 1956

Qualifications.

3. The minimum qualifications for recruitment of various classes of the employees of a College shall be such as may, from time to time, be laid down by the University;

Provided that the qualifications for the teachers shall be laid down by the University in accordance with the guidelines issued from time to time by the University Grants Commission:

Provided further that the qualifications of an existing regular employee at the commencement of this Act shall not be varied to his disadvantage.

Method of recruitment and conditions of service.

4. The method of recruitment, and the conditions of service of the employees of a College shall be such as may be prescribed:

Provided that the conditions of service of an existing employee at the commencement of this Act shall not be varied to his disadvantage.

Code of conduct.

5. The employees of College shall be governed by such Code of Conduct as may be prescribed:

Provided that in the case of teachers the Code of Conduct under this section shall be prescribed—

(*i*) where any guidelines have to be issued by the University Grants Commission in confirmity with such guidelines; and

(*ii*) where no such guidelines have been issued, in consultaton with the University Grants Commission.

Salary.

6. The scales of pay and other allowances and privileges of the employees of a College shall be such as may, from time to time, be specified by the State Government.

Dismissal, removal or reduction in rank not to be ordered except after inquiry.

7. No employee of a College shall be dismissed or removed or reduced in rank except after an inquiry in which he has been informed of the charges against him and given a reasonable opportunity of being heard in respect of those charges.

Procedure to be observed before dismissal, removal or reduction in rank.

8. (1) The penalty of dismissal or removal from service or reduction in rank shall not be imposed on an employee unless the same is approved by the Director.

(2) Where after the inquiry referred to in section 7, it is proposed to impose on an employee the penalty of dismissal, removal from service or reduction in rank, the proposal along with the relevant record shall be referred to the Director and the employee concerned shall be informed simultaneously.

(3) The employee may, within a period of thirty days of the receipt of the intimation referred to in sub-section (2) make a representation against the proposed penalty to the Director who may, after examining the record and giving the parties an opportunity of being heard, by an order in writting, approve the propsood penalty or reduce it or, refuse to approve it, if the proposal is found to be malafide or by way of victimisation or not warranted by the facts and circumstances of the case.

Provided that after the "Salary Payment Account" is opened, the Director may, if he is, subject to any rules made under section 22, satisfied that it is expedient in the public interest so to do, instruct the bank or treasury that the account shall be operated by the Principal alone, and may at any time revoke such instruction:

Provided further that in the case referred to in sub-section (3) or where, in any other case after giving to the Managing Committee an opportunity of showing cause, the Director is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, he may instruct the bank or treasury that the "Salary Payment Account" shall be operated only by himself or by such other officer as may be authorised by him in that behalf, and may at any time revoke such instruction.

(2) The State Government may, from time to time, require by general or special order that the Managing Committee shall deposit in the "Salary Payment Account" such portion of the amount received from students as fees and also such portion, if any, of the income received from any property, movable or immovable, belonging to or endowed wholey or partly for the benefit of the College, and by such date, as may be specified in that order, and there upon the Managing Committee shall be bound to comply with such direction.

(3) Where the Director is of opinion that the Managing Committee has failed to deposit the fees in accordance with the provisions of sub-section (2) or the orders issued thereunder, the Director may, by order prohibit the Managing Committee from realising any fee from the students and thereupon, the Director may realise the fees either through the employees of the College or in such other manner as he thinks fit, directly from the students and shall deposit the fees so recovered in the "Salary Payment Account".

(4) The State Government shall also pay into the "Salary Payment Account" such amount as maintenance grant which, after taking into consideration the amount deposited under sub-sections (2) and (3), is necessary for making payment in accordance with sub-section (5).

(5) The salary of an employee shall be paid by transfer of the amount from the "Salary Payment Account" to his account, if any, in the bank, or if he has no account in that bank, then by cheque.

Appeal.

14. Any party aggrieved by an order of the Director under sub-section (3) of section 8 may file an appeal, within thirty days, to the District Judge who may, after giving to the parties an opportunity of being heard pass such order as he may deem fit :

Provided that the District Judge may entertain the appeal after expiry of the said period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

Power revision.

15. The State Government may, either of its own motion or on an application received in this behalf, at any time call for the record of any proceedings which is either pending before the Director or in which the Director has passed any order for the purpose of satisfying itself as to

Sections 7 and 8 not to apply in certain cases.

9. The provisions of sections 7 and 8 shall not apply—

(*i*) to the termination of service of an employee who is appointed for a temporary period only;

(*ii*) to the termination of service of an employee appointed on probation. during or at the end of the period of probation, or on account of his work or conduct being unsatisfactory; and

(*iii*) to an employee who is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct, which has led to his conviction on a criminal charge involving moral turpitude.

Period of probation

10. An employee appointed against a vacancy likely to exist for more than one year shall remain on probation for a period of one year which may be extended from time to time :

Provided that the total period of probation including extension, if any, shall not exceed two years.

Suspension of employees

11. (1) No employee shall be placed under suspension, unless.—

(*a*) disciplinary proceedings against him are contemplated or are pending; or

(*b*) a case against him in respect of any criminal offence is under investigation. inquiry or trial.

(2) In case the Managing Committee of a College considers it expedient to keep an employee under suspension beyond a period of six months. it shall submit a detailed report to the Director atleast one month before the expiry of the period of six months specifying the reasons warranting the extension of the suspension period of the employee beyond six months.

(3) After considering the report under sub-section (2), the Director shall pass an order whether the extension be granted or not. In the event of his refusal to grant the extension. the Managing Committee shall reinstate the employee within a fortnight from the date of receipt of the order. failing which the employee concerned shall be deemed to have been reinstated on the expiry of the aforesaid period.

Retrenchment.

12. (1) No employee of a College shall be retrenched on account of reduction in work-load without the prior approval of the Director who shall before according approval examine each case in accordance with the norms of work-load laid down by the University.

(2) An employee who is relieved from a College as a result of retrenchment shall have preference for appointment to future vacancies in the College in which he was serving immediately before retrenchment or in another College under the same Managing Committee.

Procedure for payment of salary.

13. (1) The Managing Committee of a College shall, for the purpose of disbursement of salaries to its employees, open in a bank included in the Second Schedule to the Reserve Bank of India Act, 1934 or a co-operative bank or a Government treasury or sub-treasry a separate "Salary Payment Account" to be operated jointly by the Principal and the Director or such other officer as may be authorised by the Director in that behalf:

2 of 1934

(*iii*) the procedure to be observed for an inquiry under section 7;

(*iv*) the manner in which "Salary Payment Account" shall be opened and maintained under section 13;

(*v*) the manner of filing an appeal to the District Judge under section 14 ; and

(*vi*) any other matter which has to be or may be prescribed under the Act.

(3) The power to make rules conferred by this section shall be subject to the condition of the rules being made after previous publication.

the legality or propriety of such order or may pass such order in relation thereto as it thinks fit:

Provided that the State Government shall not pass an order under this section prejudicial to any party without giving such party a reasonable opportunity of being heard.

Power to issue directives.

16. The State Government shall be competent to issue such directives to the Managing Committee of a College as may be necessary for the proper enforcement of the provisions of this Act and the rules made thereunder.

Power to stop, reduce or suspend grant-in-aid or to make payment therefrom to employees in certain cases.

17. (1) It shall be lawful for the Government to stop, reduce or suspend the grant-in-aid to a College for the violation of any of the provisions of this Act or the rules made thereunder or of any directive issued under section 16, by the Managing Committee, Principal or any other authority charged with the administration thereof.

(2) In the case of non-compliance of an order of a competent authority, or of any directive issued under this Act, it shall be lawful for the Government to pay, out of the grant-in-aid payable to a College, such sum of money as is found to be due to any employee from such a college or the Managing Committee.

(3) Before taking any action under this section, the Government shall give a reasonable opportunity to such Managing Committee, Principal or authority concerned to show cause against the action proposed to be taken.

Over-riding effect of this Act.

18 The provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force including any regulation or statute of any University.

Bar of jurisdiction of civil courts.

19. No civil court shall have jurisdiction to entertain any suit or proceeding in respect of any proceedings taken under the provisions of this Act.

Protection of action taken in good faith.

20. No suit, prosecution or other legal proceedings shall lie against the State Government or any authority or any officer appointed under this Act for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made thereunder.

Power to make rules

21. (1) The State Government may by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :—

"(*i*) the method of recruitment and conditons of services of employees under section 4;

(*ii*) the Code of Conduct for the employees of a College under section 5;

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

A number of private colleges receiving grants-in-aid from the State exchequer are functioning in the State of Himachal Pradesh. They have a number of employees on their pay-rolls. The employees of these institutions deserve protection against diversion of Government funds given exclusively for disbursement of salary of employees and against other actions of the management. It has become necessary to ensure payment of thier salaries and security of their services so that they may not be suspended, dismissed or removed from services or reduced in rank by their Maraging Committees arbitrarily. It has also become necessary to provide that in the event of imposition of penalities on the employees or disbursement of the salaries to the employees in contravention of the provisions prescribed in this behalf, the State shall be competent to order reduction, stoppage of suspension of grants-in-aid to these Colleges out of State funds.

This Bill seeks to achieve the aforesaid objects and provide for matters ancilliary or incidental thereto.

NARAIN CHAND PRASHER,
Minister-in-charge.

SHIMLA:
The.....1994.

FINANCIAL MEMORANDUM

The provisions contained in the Bill, when enacted, will be implemented through the existing Government machinery and thus for the implementation of the provisions of the Bill, no additional expenditure shall be incurred out of the State exechequer.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 21 of the Bill empowers the State Government to make rules relating to the matter enumerated therein. This delegation is necessary for the effective implementation of the provisions of the Bill and is normal in character.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।